न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—32 / 2020 (2020 / 00098) वादपत्र

अनवान

1. लादुलाल पिता बद्रीलाल निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. जगदीश पिता बद्रीलाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 13.08.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पनोतिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादी एवं प्रतिवादी का शामलाती कुआं चाह संख्या 556 रकबा 0.03 है0 स्थित है जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा राजस्व जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 में दर्ज रेकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश की है। उक्त कुएं पर प्रतिवादी ने अपने खेतो में पानी ले जाने के लिये कुएं पर मोटर लगा दी एवं बिजली कनेक्शन भी ले रखा है। इसी प्रकार वादी ने भी अपने खेतो की पिलाई के लिये उक्त कुएं पर अपने नाम से बिजली कनेक्शन ले रखा है लेकिन उक्त कुआं जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है पर प्रतिवादी जबरदस्ती एव भुजबल के आधार पर वादी को अपने 1/2 हिस्से का पानी कुंए से निकालने के लिये पानी की मोटर नही लगाने दे रहा है। वादी को अपने हिस्से का पानी नही निकालने दे रहा है जिससे वादी की फसले खराब हो रही है। वादी ने भी उक्त कुएं का नाम का कनेक्शन ले रखा है जिसका न्युनतम बिल राशि चुकानी पड़ रही है। अतः निवेदन है कि बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की पारित फरमाई जावे कि वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित ग्राम पनोतिया तहसील रायपुर की आराजी चाह कुआं संख्या 556 पर वादी को अपने 1/2 हिस्से से पानी निकालने हेतु मोटर लगाने में प्रतिवादी किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न औरो से करावे एवं वादी को अपने हिस्से के पानी का उपयोग उपभोग करने से नही रोके, शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नही है जिससे इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही का निर्णय लिया गया।

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद के समर्थन में प्रार्थी की साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है और वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में बहस कर वाद स्वीकार करते हुए बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि वादी ग्राम पनोतिया की वादग्रस्त आराजी नम्बर 556 गे.मु. आचा के खातेदार है। वादवर्णित आराजी नम्बर 556 में वादी का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। खातेदार को अपने हक की भूमि का उपभोग करने के लिये कोई रोक नही सकता है प्रतिवादी वादी को जानबुझकर अपने हक से वछिंत करना चाह रहा है जबकि प्रतिवादी को ऐसा कृत्य करने का कानुनी कोई अधिकार नही है ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम पनोतिया तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी मे स्थित वादी एवं प्रतिवादी के स्वामित्व की कृषि आराजी संख्या 556 रकबा 0.03 है0 गे.मु.आचा भूमि में वादी को अपने 1/2 हिस्से का उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक तरीके से करने देवें तथा उक्त आराजियात में वादी के हक हिस्से अनुसार कोई नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे और न किसी प्रकार का वादी को नुकसान पहुँचाएं, वादी को अपने हिस्से के पानी का उपयोग उपभोग करने में मोटर लगाने में किसी प्रकार का अवरोध पैदा नही कर शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13.8.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.08.22 14:42:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: